भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–84/2020–2021

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
12.09.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा पैरवी नहीं दी ई पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 10.11.2020 को रखें। अभिलेख 10.11.2020 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर।	
10.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त। अगली तिथि 24.11.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 24.11.2020 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
24.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–631, दिनाक–11.12.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन दिनांक–14.12.2020 को प्राप्त हुआ। तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा इस वाद में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र दाखिल कर उक्त वाद को पुनर्जीवित करते भूमि क्रय विक्रय करने की अनुमति देने की मांग की गई है। आवेदक के आवेदन पत्र के आलोक में वाद को पुनर्जीवित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि 15.12.2020 को रखें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
15.12.2020	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–631, दिनांक–11.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 14.12.2020 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रूईदास बोयपाई, पिता–स्व0 गोइरा बोयपाई, जाति–हो (अ०ज०जा०), ग्राम–पुसालोटा, थाना–चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार आवेदित आवासीय भूमि मौजा–पुसालोटा, थाना नं0–41, थाना–चक्रधरपुर, खाता नं०–110, खेसरा नं0–572, रकवा–0.16 ए0 भूमि क्रेता सुलोचना कोड़ाह, पिता–स्व0 सोदन कोड़ाह, जति–हो (अ०ज०जा०), ग्राम–पुसालोटा, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक रूईदास बोयपाई, पिता–स्व0 गोइरा बोयपाई, जाति–हो (अ०ज०जा०), ग्राम–पुसालोटा, थाना–चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति–हो (अ०ज०जा०) समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 4.32 ए0 अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता रूईदास बोयपाई, पिता–स्व0 गोइरा बोयपाई, जाति–हो (अ०ज०जा०), ग्राम–पुसालोटा, थाना–चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 80,000/– (अस्सी हजार) रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर।	